

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०सं०-4/निदे०अनु० जनजाति आ०वि०(राज्य स्कीम)- 18-03/2026- 127

प्रेषक,

निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण(बेतिया)

पटना, दिनांक 21/08/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अन्तर्गत अनु० जनजाति आवासीय विद्यालय के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई मद में ₹13,42,745/- (तेरह लाख बेयालीस सौ सात सौ पैतालीस रु०) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य स्कीम अन्तर्गत अनु० जनजाति आवासीय विद्यालय के तहत चिकित्सा प्रतिपूर्ति ईकाई मद में ₹13,43,000/- आंतरिक सामंजन के फलस्वरूप प्रथम अनुपूरक के माध्यम से बजट उपबंध किया गया है। विभागीय स्वीकृतादेश संख्या-18 दिनांक-08.05.2026 के द्वारा राशि की स्वीकृति दिया गया है। जिला कल्याण पदाधिकारी, प० चम्पारण के मांग के आलोक में श्री धनश्याम पासवान, स्नातक सहाय शिक्षक, अनु० जनजाति आवासीय विद्यालय, मधुबनी, रामनगर, प० चम्पारण(प०चम्पारण) की पत्नी स्व० खुशबू कुमारी के प्रसव के उपरान्त चिकित्सा पर व्यय हुए राशि ₹13,42,745/- (तेरह लाख बेयालीस सौ सात सौ पैतालीस रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2- कुल भारित व्यय राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में आय-व्यय शीर्ष "2225-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-01-अनु० जातियों का कल्याण-277 शिक्षा-0106-आवासीय विद्यालय के प्राथमिक इकाईयों-0106.0601-चिकित्सा प्रतिपूर्ति मांग सं०-44 -बिपत्र कोड सं०- 44. 2225012770106 के उचित इकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस आवंटन जिला कल्याण पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, तथा उप विकास आयुक्त, प० चम्पारण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4- वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17-4-98 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय समय पर वित्त विभाग/ राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र /परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि का निकासी एवं व्यय करेंगे।

5-राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्यय पदाधिकारी का होगा। संबंधित पदाधिकारी प्रत्येक माह के अंत में व्यय विवरणी, टी०भी० नम्बर इत्यादि मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6- इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वसिभाजन,

निदेशक

ज्ञापांक-सं०-4/निदे०अनु०जनजाति आ०वि०(राज्य स्कीम)- 18-03/2026-127 पटना, दिनांक-21/08/2026
प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, प० चम्पारण (बेतिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, प० चम्पारण, अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/ उप निदेशक, (मु०) अनु० जाति एवं अनु० जाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग /बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक